319

संख्याः / I(2)/2013-05-16/2013

प्रेषक,

संजीव कुमार शर्मा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 23 अप्रैल, 2013

विषयः– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, में निदेशक (वित्त) के पद का आस्थगन समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 31/सी0सी0/प्र0नि0/उपाकालि/एस–4 दिनांक 18.04.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 833 / I(2)/2013-05/16/2013 दिनांक 12.04.2013 द्वारा यूपीसीएल में निदेशक (वित्त) के पद को आस्थगित (In Abeyance) में रखते हुए निदेशक(वाणिज्य) का पद सृजित किया गया था।

3– आपके द्वारा पत्र दिनांक 18.04.2013 में अवगत करायी गयी स्थिति कि निगम के अंशधारकों के द्वारा Articles of Association के उपबन्ध 32 में संशोधन कर निदेशकों की संख्या 12 से बढाकर 15 की जा चुकी है तथा निदेशक (वित्त) कम्पनी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करते है।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, में निदेशक वित्त के आस्थगित पद को पुनर्जीवित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4– यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

संख्याः 863(1) / I(2)/2013-05-16/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रबन्ध –निदेशक यूजेवीएन लि0 एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. प्रभारी एनआईसी सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।